XVI/80

आयकर विभाग को

शालमारी आश्रमके का[र्य]कलापकी जांच का आदे[श]

नयीदिल्ली, ७ सितम्बर। उप-मंत्री श्री ए ल.एम.मिश्रने आज राज्य सभामें कहा कि वित्त मंत्रालयने कूच बिहारमें शौलमारी आश्रमके कार्य कलापोंकीजांचकरनेकेलिएआयकर विभागको निर्देश किया है जिससे यह पता लग सके कि क्या उसपर आयकर लागू किया जा सकता

आपने आगे कहा कि अभी उक्त आश्रमसे आयकर नहीं वसूल किया जाता है।

उपगृहमंत्री श्री भूपेश गुप्त और कई अन्य व्यक्तियोंके प्रश्नोंका उत्तर दे रहे थे जिन्होंने यह कहा था कि उक्त आश्रमके पास बहुत सा 'चोर-धन' है और वह बुरे कार्योंमें संलग्न है।

उक्त सदस्योंने यह भी कहा कि उक्त आश्रमके साधुको लोग सुभाष-चन्द्र बोस समझते हैं।

श्री मिश्रने कहा कि मैं जब उप गृहमंत्री था तो मुझे भी इस आश्रमके विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थीं।

श्री बी.बी. दासने प्रश्न किया कि क्या उस आश्रमके साधूको एक मजिस्ट्रेटने अदालतमें उपस्थित होनेके लिए वारन्ट भेजा था। आपने कहा कि उक्त साधूको कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं देख सकता जब तक उसके पास उसकी फोटोके सा[थ] 'अनुमति पत्र' न हो।

आपने प्रश्न किया कि उक्त [साधू] को सरकारने कबसे कूटनीति[क] प्रदान किया है।'

श्री भूपेश गुप्तने कहा कि उक्त आश्रम प्रतिदिन २००० व्यक्तियोंको २ रुपये प्रति व्यक्तिके हिसाबसे खाना दे रहा है। आपने सरकारसे इस भारी खर्चकी आयको साधन पता लगानेके लिए अनुरोध किया।

आपने यह भी कहा कि लोकसभा के एक उपसचिव अथवा अवरसचिव को अवकाश ग्रहण करनेके बाद आश्रमने १५५ रुपये प्रति मा[स] नियुक्त किया था।

श्री लोकनाथ मिश्रने कहा [कि] चूंकि यह आश्रम सीमापर है अ[तः] आश्रममें गुप्तचरी की जानेकी [भी] कुछ संभावना है आपने सरकार[से] इन सब बातोंकी और इस बातकी भीजांचकरनेकेलिएकहाकिआश्रम[से] कोई कर क्यों नहीं लिया जाता।

श्री मिश्रने जवाब दिया कि स[र]कारने आयकरके मामलेमें छानबीन करनेका आदेश दिया है। जांचके बाद अगर यह पता चला कि आयकर लागू किया जाना चाहिए भृतो सर-कार ऐसा करगी।

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत National Archives of India